## **CORRIGENDUM NO.1**

## वाहन किराये पर लिए जाने हेतु निविदा

Date: 07.02.2023

NIT NO.- 648/ MPTB/2023 System No.2023\_MPTB\_250360

## THE FOLLOWING ARE THE MODIFICATIONS TO THE RFP"

THE DELETIONS FROM THE EARLIER TEXT OF THE RFP ARE INDICATED AS STRIKE THROUGHS AND THE ADDITIONS ARE UNDERLINED.

S. No.	D. C. M.	Due total of the DED
	Point No.	Provision of the RFP
(1)	Page 6	Point no.7 of tender is revised as under:  निविदाकार के पास संस्था के नाम पर टैक्सी के रूप में आर.टी.ओ. में पंजीकृत कम से कम 10 वाहन 01/01/2019 के पश्चात के होना अनिवार्य होगा।  निविदाकार के पास संस्था के नाम पर टैक्सी के रूप में आर.टी.ओ. में पंजीकृत कम से कम 10 वाहन होना अनिवार्य होना चाहिए।
(2)	निविदा की अन्य नियम एवं शर्त	New point no.45 added to tender is as under: कार्यालय की आवश्यकता अनुसार स्वीकृत दरों पर मध्यप्रदेश के अन्य शहरों में भी वाहन उपलब्ध कराने होंगें
(3)	Page 9	Point no.25 of tender is revised as under: कार्यालय की आवश्यकतानुसार स्वीकृत दरों पर अन्य ट्रेवल्स ऐजेंसी से भी वाहन किराये पर लिये जा सकते हैं।
	Point no.25	सफल निविदाकार द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराये तो स्वीकृत L-1 दरों पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु अन्य निविदाकार (जो तकनीकी रूप से योग्य पाये गए है एवं जिनके वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोले गये है ) से L-1 दरों पर वाहन प्रदान करने की सहमति पत्र प्राप्त कर वाहन लिए जा सकेंगे